न्यायालय,सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 112/2020
GCMS No.- : 2020/00265

–: वादीगण :–	बनाम	–: प्रतिवादीगण :–
1. प्रेम कुचेरिया पुत्र चैनाराम कुचेरिया जाति भांबी, निवासी मोहन नगर ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर। 2. शान्ति लाल पुत्र भंवर लाल जाति भाम्बी निवासी ग्राम बाडिया श्यामा पोस्ट जालिया तहसील ब्यावर जिला अजेमर।		1. तेजसिंह पुत्र बालकिशन 2. पुसीदेवी पत्नि नारायण 3. करणसिंह पुत्र नारायण 4. मंजूदेवी पुत्री नारायण 5. कमला पुत्री बालकिशन 6. पारकी पुत्री बालकिशन 7. राधादेवी पत्नि बालकिशन बदना कौम .गुर्जर साकिन खातेदार. खेडा। 8. श्री सीमेंट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) मार्फत अमरीषकुमार शर्मा वरिष्ठ प्रबन्धक (भूमि अवाप्ति) निवासी बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज)। 9. रायपुर सीमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.10 ए.अमरविजय काम्प्लेक्स होटल मानसिंह के पास संसारचंद रोड. जयपुर जरिये होटल मानसिंह के पास संसारचंद रोड.जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि संजय भण्डारी पुत्र राजमल भण्डारी। 10. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

दावा बाबत् घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञ अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.23/10/2020

उपस्थित:. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक:– 30/12/2021**

वकील मय वादीगण ने राजस्व वाद [illegible] धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत [illegible] इस आशय प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद [illegible] हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में खसरा नम्बर 2314 रकबा 0 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दो[illegible],खसरा नम्बर 2322 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा किस्म सेवज दोयम कुल खसरा 2 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा की आई हुई है उक्त खसरे की भूमि में वादी 1/2 हिस्से यानि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

1 बीघा 07 बिस्वा 10 भूमिपर रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार के काबिज है तथा राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त हैमगर वादीव प्रतिवादीगण की सम्पूर्ण भूमि एक खाते के रुप में शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश मे भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई है। मौके पर कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम की हुई नहीं है। तथा विवादित आराजी को वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा । वर्तमान जमाबन्दीसम्वत 2072 से 2075 की व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त कृषि भूमि वादीएवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादीएवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्ण तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादीके साथ उक्त कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादी की खन्दक/मेडबन्दी तारबन्दी को तोडफोडकर देते है एवं वादीको हर समय उनके हक हिस्से की भुमि से बेदखल करने पर आमादा रहते है। जबकि मौके पर वादीएवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से एवं खातेदारी भूमि पर काबिज है एवं मनागना काश्त करते चले आ रहे है । वादी की वादग्रस्त उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि1/2 हिस्से यानि 1 बीघा 07 बिस्वा 10 बिस्वांसीभूमि मौके पर बंटी हुई है। वादीका अलग सें कब्जा व काश्त हैवादीने प्रतिवादीगण को मौके के कब्जे व काश्त व हिस्से व खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के तकासमा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने व हिस्से अनुसार नक्शा ट्रेश में तरमीम करने का तकास्मा करवाने का कहा मगर प्रतिवादीगण की नियत सही नहीं होने से उन्होने बंटवाडा करवाने सें दिनांक 30.09.2020 को मना कर दिया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई काननी अधिकार नही हैवादी अपनी भूमि का बाई मिट्स् एण्ड बाउण्डस् के तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार बालकिशन पुत्र बदना (फोत) हो चुके है जिसके वारिसान निम्न तेजसिंह पुत्र बालकिशन,नारायण पुत्र बालकिशन(फोत) पुसीदेवी पत्नि नारायण, करणसिंह पुत्र नारायण, मंजूदेवी पुत्रि नारायण,कमला पुत्रि बालकिशन, पारकी पुत्रि बालकिशन, राधा[illegible] बालकिशन है। जिनको इस वाद में प्रतिवादी संख्या 1 से [illegible] है बालकिशन पुत्र बदना एव नारायण पुत्र बाल[illegible] फौत के [illegible] कोई विधिक वारिसान नही है। बालकिशन पुत्र बदना फौत हो चुके है जिन[illegible] राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी मे खसरा न.2300 मे मुटेशन न 1658 दिनांक10.06.19 को श्री तेजसिंह पुत्र बालकिशन, पुसीदेवी पत्नि नारायण, करणसिंह पुत्र नारायण, मंजुदेवी

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:51 IST
Reason: SelfAttested

पुत्री नारायण, कमला पुत्री बालकिशन, पारकी पुत्रि बालकिशन, राधादेवी पत्नि बालकिशन बतोर उतराधिकारी इन्द्राज किया गया। बाद तकारमा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग, उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही है, यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीको असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही है, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को बार बार फौजदारी मुकदमें करने पडगे। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिंडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादी संख्या 10 तहसीलदार साहब, जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जो बंटवाडे के वाद मे आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नही चाही गई है। बिनाय दावा दिनांक 30.09. 2020को वादीद्वारा प्रतिवादीगण कोवादीगण के हिस्से की भूमिका बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मना करनेएवं बिना बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान हस्तान्तरण करने एवं वादीको उनके हक हिस्से व कब्जे की भुमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम भीवंगढ (रास) तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 व 10 को बार बार आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन् सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 08 व 09 की और से वकालतनामा पेश किया, जवाब दावा पेश नहीं करना, जवाबदावा बन्द किया जाता है। अधिवक्ता उभयपक्ष माफिक राजस्व रेकर्ड वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतू सहमत है। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। जमाबन्दी सरहद मौजा ग्राम भींवगढ़ सम्वत 2072-2075 का अवलोकन किया गया। जिसमें वादीगण एवं [illegible] संख्या 08 व 09 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के [illegible] है खसरा नम्बर 2314 व 2322 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 08 व 09 के हक-हिस्से का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाना उचित समझते हुए माफिक प्रा0डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा भींवगढ पटवार हल्का

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2022.01.24 18:31:51 IST
Reason: SelfAttested

रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 2314 रकबा 0 बीघा 08 बिस्वा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 2322 रकबा 2 बीघा 07 बिस्वा किस्म सेवज दोयम में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंट्वाड़ा करवाया जाकर खाता व लगान अलग अलग किया जावें। मौके पर नापचौप करके मेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाई जाकर नजरी नक्शा बनाया जावें। तहसीलदार जैतारण को बंट्वाड़ा करवाने हेतु अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2021/63 दिनांक 22/01/2021 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/21/4478 दिनांक 27/10/2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंट्वाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकुलाय ने माफिक बंट्वाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंट्वाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंट्वाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंट्वाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा भींवगढ पटवार हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा नम्बर 2314 रकबा 00-08 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 2322 रकबा 2-07 बीघा किस्म सेवज दोयम की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान
1	मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड खातेदार (रास प्रोजेक्ट)बांगड नगर अन्धेरी देवरी तहसील-मसूदा जिला अजमेर मार्फत सज्जनसिंह जैन वरिष्ठ उपाध्यक्ष खातेदारै।	2314 2322	0.0161 0.0951	सेवज दोयम	0.02 0.13
	योग	02	0.11[illegible]		[illegible]5
2	रायपुर सीमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.10ए अमरविजय काम्पलेक्स होटल मानसिंह के पास संसारचन्द रोड. जयपुर खातेदार।	2314/1 2322/1	0.00[illegible] 0.047[illegible]	[illegible]	[illegible] 0.07
	योग	02	0.0557		0.08

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

3	प्रेमचन्द कुचेरिया पुत्र चैनाराम कुचेरिया हि.7/9 कौम भांबी सा. शिवा कौलोनी जिला अजमेर श्शान्तिलाल पुत्र भंवरलाल हि.2/9 जाति भांबी सा.बाडि.या श्श्यामपोस्ट जालिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर खातेदार।	2314/2 2322/2	0.0324 0.1902	से0दो0 से0दो0	0.04 0.24
	योग	02	0.2226		0.28
4	तेजसिंह पुत्र बालकिशन हि.1/5 राधादेवी पत्नि बालकिशन हि.1/5 कमला पुत्री किशन हि.1/5 पारकी पुत्री बालकिशन हि.1/5 पुसीदेवी पत्नि नारायण हि.1/15 करणसिंह पुत्र नारायण हि.1/15 मंजूदेवी पुत्री नारायण हि.1/15 जाति गुर्जर सा.खेड़ा खातेदार	2314/3 2322/3	0.0081 0.0475	से0दो0 से0दो0	0.02 0.07
	योग	02	0.0556		0.09

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 30/12/2021 को सर–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar B
Date: 2022.01.24 18:31:51 IS
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण
बईजलास :- डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०

-: वादीगण :- बनाम -: प्रतिवादीगण :-

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. प्रेम कुचेरिया पुत्र चैनाराम कुचेरिया जाति भांबी, निवासी मोहन नगर ब्यावर, तहसील ब्यावर जिला अजमेर।	1. तेजसिंह पुत्र बालकिशन
2. शान्ति लाल पुत्र भंवर लाल जाति भाम्बी निवासी ग्राम बाडिया श्यामा पोस्ट जालिया तहसील ब्यावर जिला अजेमर।	2. पुरीदेवी पत्नि नारायण
	3. करणसिंह पुत्र नारायण
	4. मंजूदेवी पुत्री नारायण
	5. कमला पुत्री बालकिशन
	6. पारकी पुत्री बालकिशन
	7. राधादेवी पत्नि बालकिशन बदला कौम .गुर्जर साकिन खातेदार. खेडा।
	8. श्री सीमेंट लिमिटेड (रास प्रोजेक्ट) मार्फत अमरीषकुमार शर्मा वरिष्ठ प्रबन्धक (भूमि अवाप्ति) निवासी बांगड नगर अन्धेरी देवरी, तहसील मसूदा, जिला अजमेर (राज)।
	9. रायपुर सीमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.10 ए.अमरविजय काम्प्लेक्स होट्ल मानसिंह के पास संसारचंद रोड. जयपुर जरिये होट्ल मानसिंह के पास संसारचंद रोड.जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि संजय भण्डारी पुत्र राजमल भण्डारी।
	10. तहसीलदार एवं उपपंजियन अधिकारी महोदय, जैतारण जिला पाली (राज)।

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :रा०वा० स0: 112/2020
निर्णय/ डिक्री दिनांक :- 30.12.2021

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री शाकिर हुसैन, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँट्वाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि [illegible] हल्का रास द्वितीय भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र रास, तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी [illegible] खसरा नम्बर 2314 रकबा 00-08 बीघा किस्म बारानी दोयम व खसरा नम्बर 2322 रकबा 2-07 बीघा किस्म सेवज दोयम की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँट्वाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगान
1	मैसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड खातेदार (रास प्रोजेक्ट)बांगड नगर अन्धेरी देवरी तहसील-मसूदा जिला अजमेर मार्फत सज्जनसिंह जैन वरिष्ठ उपाध्यक्ष खातेदारै।	2314 2322	0.0161 0.0951	सेवज दोयम	0.02 0.13
	योग	02	0.1112		0.15
2	रायपुर सीमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.10ए अमरविजय काम्पलेक्स होटल मानसिह के पास संसारचन्द रोड. जयपुर खातेदार।	2314/1 2322/1	0.0081 0.0476	से0दो0 से0दो0	0.01 0.07
	योग	02	0.0557		0.08
3	प्रेमचन्द कुचेरिया पुत्र चैनाराम कुचेरिया हि.7/9 कौम भांबी सा. शिवा कौलोनी जिला अजमेर श्शांन्तिलाल पुत्र भंवरलाल हि.2/9 जाति भांबी सा.बाडि.या श्श्यामपोस्ट जालिया तहसील ब्यावर जिला अजमेर खातेदार।	2314/2 2322/2	0.0324 0.1902	से0दो0 से0दो0	0.04 0.24
	योग	02	0.2226		0.28
4	तेजसिंह पुत्र बालकिशन हि.1/5 राधादेवी पत्नि बालकिशन हि.1/5 कमला पुत्री किशन हि.1/5 पारकी पुत्री बालकिशन हि.1/5 पुसीदेवी पत्नि नारायण हि.1/15 करणसिंह पुत्र नारायण हि.1/15 मंजूदेवी पुत्री नारायण हि.1/15 जाति गुर्जर सा.खेड़ा खातेदार	2314/3 2322/3	0.0081 0.0475	से0दो0 से0दो0	0.02 0.07
	योग	02	0.0556		0.09

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....-......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 30/12/2021 को जारी किया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.24 18:31:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला- पाली)

मोहर